

**राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्य प्रदेश**  
**विन्ध्याचल भवन भोपाल**  
**सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु 17 बिन्दुओं की जानकारी**

1	प्रशासनिक प्रतिवेदन में सामान्यतया संरचनात्मक ढांचा दिया जाता है। कार्यालयीन स्तर पर यदि यह उपलब्ध न हो तो पृथक से बनाकर प्रपत्र में डाला जाये। कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्य / दायित्व कार्यालय में उपलब्ध होंगे। यदि उपलब्ध न हो तो शाखावार दायित्व/कार्य सुनिश्चित कर इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी किये जाये।	प्रशासनिक प्रतिवेदन में संरचनात्मक ढांचा की जानकारी दी गई है। स्वीकृत पद/कार्यविभाजन आदेश भी उपलब्ध है।
2	कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम कर्तव्य तथा परिलब्धियों संबंधी जानकारी दी जावे, यह जानकारी कोषालय/कार्यालय दोनों जगह उपलब्ध होगी।	उपलब्ध है।
3	कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय नस्ती खोले जाने से निर्णय लेने तक को रेखा चित्र की सहायता से दिखाई जाये।	उपलब्ध कराई जा रही है।
4	कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदण्ड तय किये जाने संबंधी जानकारी दी जाये। यदि इस तरह के मापदण्ड तय नहीं हो जो इस दिशा में कार्यवाही विभाग स्तर पर की जाये। ताकि सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिये प्रदेश स्तर पर एक समान गुणवत्ता वाले मापदण्ड लागू हो सके।	कार्यवाही विभाग स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है।
5	कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम रेगुलेशन की सूची तैयार की जाये।	सूची उपलब्ध है।
6	कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जावे।	निरंक
7	ऐसी परामर्शदात्री समितियों की संरचना जिसके सदस्य जनप्रतिनिधि है। उनके संबंध में वांछित जानकारी जैसे नाम, आदेश क्रमांक निर्माण संबंधी सर्कुलर तथा दायित्व उप कर्तव्य की जानकारी दी जानी है।	पुलिस मुख्यालय स्तर पर संधारित है।
8	कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली बोर्ड परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम एवं अर्हता, गठन संबंधी आदेश, चार्टर/अनुबंध से संबंधी जानकारी, बैठक आहुत करने संबंधी शासन निर्देश, आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी जाय।	निरंक
9 एवं 10	कार्यालय में समस्त कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जावेगी। यह जानकारी कार्यालय /कोषालय दोनों जगह उपलब्ध होगी।	जनकारी उपलब्ध है कोषालय के पें-डाटा वेश एम्प्लॉई डाटा वेश में जानकारी दी जाती है।

11	कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार बजट आवंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी दी जावेगी।(यह जानकारी कार्यालय/कोषालय दोनों जगह उपलब्ध होगी)	बजट की जानकारी उपलब्ध है।
12	विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची हितग्राहियों के चयन प्रक्रिया, वित्तीय सहायता देने वाली संस्था, वर्षवार आवंटित राशि तथा हितग्राहियों की संख्या दी जानी है तथा इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।(कार्यालय एवं संबंधित विभाग तथा कोषालय में यह जानकारी उपलब्ध होगी)	12 से 14 बिन्दुओं पर तथ्यात्मक जानकारी संलग्न प्रतिवेदन में प्रस्तुत है।
13	वास्तविक हितग्राहियों की सूची श्रेणी तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये(कार्यालय में उपलब्ध)	
14	कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची तथा उसकी प्रकृति(हार्ड कापी,इलेक्ट्रानिक फार्म)	
15	आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधायें जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउण्टर आदि।	निरंक
16	लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी जानी है।	आदेश जारी किये गये हैं।
17	अन्य कोई प्रशासनिक जानकारी सीधा संबंध आम नागरिक से होते उन जानकारी का भी आलेखन किया जाये।	निरंक

ब्यूरो द्वारा नोडल अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं।(प्रतिलिपि संलग्न है)

## बिन्दु-1

### राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश:

आर्थिक अपराधों अथवा राष्ट्रीय अखण्डता को प्रभावित करने वाले ऐसे अपराध जिनमें प्रमुखतः राज्य शासन के लोक सेवक आरोपी हो अथवा जिनमें राज्य शासन के आर्थिक हित प्रमुखतः प्रभावित हों अथवा जिनमें नागरिकों के व्यापक समूह के हित प्रभावित हों।

### उद्देश्य:-

मध्य प्रदेश शासन ने ब्यूरो का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया:-

- (क) आर्थिक अपराधों, विशिष्ट प्रकार के कपट, संपत्ति छिपाना, करों की चोरी आदि के अपराधों की जानकारी एकत्रित करना तथा जहाँ आवश्यक हो, ऐसे अपराधों का अन्वेषण करना।
- (ख) राष्ट्र की अखण्डता नष्ट करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों तथा समूहों एवं राष्ट्र का विघटन, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ट तथा लोक सेवकों में अनिष्ट की प्रवृत्ति को उकसाने वाले व्यक्तियों तथा समूहों के बारे में सूचनाएँ एकत्रित करना तथा ऐसे अपराधों का अन्वेषण करना।

### संरचना:-

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश संपूर्ण मध्यप्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में अधिकारिता वाला थाना घोषित किया गया है, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। ब्यूरो को कतिपय विशिष्ट अपराधों के अन्वेषण के लिये अधिकृत किया गया है।

ब्यूरो के क्रिया कलापों के संचालन का उत्तरदायित्व महानिदेशक पर है। महानिदेशक की सहायता के लिये ब्यूरो मुख्यालय के एक महानिरीक्षक एक उप महानिरीक्षक तथा एक सहायक महानिरीक्षक (मुख्यालय) का पद निर्मित है। सूचनाएँ एकत्रित करने, जाँच/अन्वेषण करने के लिये मध्य प्रदेश क्षेत्र को ब्यूरो की 5 इकाईयों में विभक्त किया गया है जिनके मुख्यालय तथा कार्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं:-

- |     |               |   |   |
|-----|---------------|---|---|
| (1) | भोपाल इकाई    | भोपाल जोन<br>होंशागाबाद जोन   | भोपाल, सीहोर, राजगढ़ तथा विदिशा<br>होंशागाबाद, रायसेन, बैतूल तथा हरदा   |
| (2) | इंदौर इकाई    | इंदौर जोन<br>खरगोन जोन  | इंदौर, धार तथा झाबूआ<br>खरगोन, खण्डवा, बड़वानी तथा बुरहानपुर  |
| (3) | ग्वालियर इकाई | ग्वालियर जोन  | ग्वालियर, शिवपुरी, गुना तथा<br>अशोकनगर  |
| (4) | जबलपुर इकाई   | जबलपुर जोन<br>छिंदवाडा जोन<br>बालाघाट जोन<br>सागर जोन<br>छतरपुर जोन | भिण्ड, मुरैना, दतिया तथा श्योपुर<br>जबलपुर तथा कटनी<br>छिंदवाडा, नरसिंहपुर तथा सिवनी<br>बालाघाट, मण्डला तथा डिंडोरी<br>सागर तथा दमोह<br>छतरपुर, पन्ना तथा टीकमगढ़ |
| (5) | रीवा इकाई     | रीवा जोन<br>शहडोल जोन   | रीवा, सीधी तथा सतना<br>शहडोल, उमरिया तथा अनूपपुर  |

ब्यूरो इकाईयों सहायक महानिरीक्षकों के अधीन संचालित होती है।

विधिक सलाह तथा दण्डाधिकारी न्यायालयों में अभियोजन संचालन के लिये ब्यूरो में विधि अधिकारी, जिला अभियोजन अधिकारी तथा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पद निर्मित है, जो उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक तथा महानिदेशक के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

महानिदेशक-महानिरीक्षक-उप महानिरीक्षक-सहायक महानिरीक्षक(मुख्यालय)

-सहायक महानिरीक्षक(इकाई)

- थाना प्रभारी (ब्यूरो)

-विधि अधिकारी

-जिला अभियोजन अधिकारी /सहायक अभियोजन अधिकारी

स्वीकृत बल

पदनाम	मुख्यालय	भोपाल	इंदौर	जबलपुर	ग्वालियर	रीवा	योग
महानिदेशक	1	—	—	—	—	—	1
महानिरीक्षक	1	—	—	—	—	—	1
उमनि	1	—	—	—	—	—	1
समनि	1	—	—	—	—	—	1
पु0अधीक्षक	-	1	1	1	1	1	5
डीपीओ	—	1	-	-	-	-	1
एडीपीओ	—	—	1	1	1	1	4
विधि अधि0	1(संविदा नियुक्ति)	—	—	—	—	—	1
लेखा अधि0	1	—	—	—	—	—	1
उपुअ	—	3	2	2	1	1	9
निरीक्षक	1	6	4	4	2	2	19
उप निरी0	—	2	3	3	2	2	12
सउनि	2	—	—	—	—	—	2
कार्या अधी0	1	—	—	—	—	—	1
व.शी.लेखक	2	—	—	1	—	—	3
क.शी. लेखक	1	1	1	—	—	—	3
स.अ.	2	—	—	—	—	—	2
आंकिक	1	—	—	—	—	—	1
उप निरी.अ	2	—	—	—	—	—	2
सउनि.अ	9	1	1	1	1	1	14
प्र0आर0	2	6	4	3	2	2	19
आरक्षक	12	22	12	13	6	7	72
आरक्षक चा.	3	2	2	1	1	1	10
आरक्षक एम	1	—	2	1	1	—	5
अर्दली	1	—	—	1	—	—	2
योग	45	45	33	32	18	18	191

**बिन्दु-2**  
**अधिकारियों के नाम, पदनाम कर्तव्य तथा परिलब्धियों**

पदनाम	परिलब्धियों	अधिकारियों के नाम	इकाई
महानिदेशक	24050-650-26000	श्री एस0एस0 लाल	मुख्यालय
महानिरीक्षक		श्री अजय कुमार शर्मा	मुख्यालय
उप महानिरीक्षक	16000-450-20600	श्री एस0 डब्ल्यू नकबी	मुख्यालय
समनि/पु0अधीक्षक	12000-375-16500	श्री अविनाश सिंह	मुख्यालय
		श्री सुधीर लाड	भोपाल इकाई
		श्री सुनील कुमार पाण्डे	ग्वालियर इकाई
		श्री अशोक गोयल	जबलपुर इकाई
		श्री नवल सिंह रघुवंशी	रीवा इकाई
विधि अधिकारी	15100-400-18300	श्री माजिद खान(संविदा नियुक्ति)	मुख्यालय
लेखा अधिकारी	8000-275-13500	श्री श्रीगोपाल दुबे	मुख्यालय
उप अधीक्षक	8000-275-13500	श्री डी0एस0मरकाम	मुख्यालय
		श्री एस0के0शुक्ला	भोपाल इकाई
		श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर	भोपाल इकाई
		श्री दिलीप कुमार सोनी श्री अरुण कुमार जैन	इंदौर इकाई
		श्री पी0के0 शुक्ला श्री अवनीश बंसल	जबलपुर इकाई
			ग्वालियर इकाई
		श्री सुशील रंजन सिंह	रीवा इकाई
जिला अभियोजन अधिकारी	6500-200-10500		भोपाल इकाई
सहायक अभियोजन अधिकारी	5500-175-9000	श्री ओ0पी0कॉरिकान	जबलपुर
		श्री ए0के0 स्वर्णकार	इन्दौर इकाई
		श्री राम बाबू चतुर्वेदी	ग्वालियर इकाई

### बिन्दु-3

#### शिकायतें एवं निर्णय प्रक्रिया

ब्यूरो मुख्यालय तथा इकाईयों प्राप्त होने के कई स्रोत हैं:-

राज्य शासन के मंत्रियों/सांसदों/विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रेषित शिकायतें  
राज्य शासन द्वारा प्रेषित शिकायतें  
विभागाध्यक्षों/संभागीय अधिकारियों/जिला अधिकारियों/स्वायत्त संस्थाओं के कार्यकारी प्रमुखों द्वारा प्रेषित शिकायतें  
सामाजिक/आर्थिक संस्थाओं/व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रेषित शिकायतें  
व्यक्तियों द्वारा प्रेषित शिकायतें एवं  
स्वयं ब्यूरो की सूत्र-सूचना

**शिकायत-** सूत्र सूचना-प्रारम्भिक जाँच/अपराध पंजीयन/फाइल  
- विभागीय जाँच-प्रारम्भिक जाँच/अपराध पंजीयन/फाइल  
- प्रारम्भिक जाँच-अपराध पंजीयन/विभागीय जाँच हेतु/फाइल  
- अपराध पंजीयन-चार्ज शीट/फाइल-रिपोर्ट/विभागीय जाँच हेतु/फाइल  
- विभागीय जाँच हेतु  
- फाइल

### बिन्दु-4

कार्यवाही विभाग स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है।

### बिन्दु-5

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश का विधिक अधिकार क्षेत्र (अधिनियम)

- (01) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120(ख), 124, 124(क), 153, 153(ख), 161, 162, 163, 164, 165(ख), 167, 186, 212, 213, 218, 295, 295(क), 296, 297, 298, 330, 331, 332, 333, 353, 406, 407, 408, 409, 411, 419, 420, 429, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 477(क), 489, 489(क), 489(ख), 489(ग), 489(घ), 505 तथा 511
- (02) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947
- (03) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
- (04) आयुध अधिनियम 1959
- (05) भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884
- (06) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
- (07) अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम 1985
- (08) मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958
- (09) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976
- (10) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915
- (11) मध्यप्रदेश मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1956

- (12) फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट(रेग्युलेशन) अधिनियम 1952
- (13) खाद्य पदार्थ में मिलावट से बचाव अधिनियम 1954
- (14) मध्यप्रदेश माप तौल(बाध्यता) अधिनियम 1959
- (15) भारत जंगल अधिनियम 1927
- (16) आयात-निर्यात (संविदा) अधिनियम 1947
- (17) प्राइज चिट एण्ड मनी सर्कुलर स्कीम (बैनिंग) अधिनियम 1978
- (18) मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट शिष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982

बिन्दु-6

निरंक

बिन्दु-7

पुलिस मुख्यालय स्तर पर संधारित है।

बिन्दु-8

निरंक



बिन्दु 9 एवं 10

S#	Post	Pay Scale	Sanctioned	Present Status	Vacant	Surplu s	Name of Posted Officers	Date of Posting	Unit
1	2	3	4	5	9	10	6	7	8
1	DG	24050-650-26000	1	1			S.S. Lal	19/5/2008	HQ
2	IG			1			Ajay Kumar Sharma	29/3/2008	HQ
3	DIG	16000-450-20600	1	1			S.W.Naqbi	19/6/2008	HQ
4	AIG	12000-375-16500	1	1			Avinash Singh	18/07/05	HQ
5	SP	12000-375-16500	5	4			Sudhir Lad	24/12/07	Bpl Unit
									Ind Unit
							Sunil Kumar Panday	26/6/07	Gwl Unit
							A.K. Goyal	31/8/2006	Jbp Unit
					1		N.S. Raghubasi	28/11/05	Rwa Unit
6	LO/ DDPO	15100-400-18300	1	1			Majid Khan(सविदा नियुक्ति)	18/07/04	Bpl Unit
7	AO	8000-275-13500	1	1			Gopal Dubey	8/11/2006	HQ
8	DSP	8000-275-13500	9	8	1		S K Shukla	25/10/04	Bpl Unit
							P.K.Shukla	7/10/2005	Jbp Unit
							Awnish Bansal	16/8/05	Jbp Unit
							Arun Kumar Jain	10/12/2007	Ind Unit
							D.S.Markam	20/01/2007	HQ
							Sushil Ranjan Shing	29/1/07	Rewa
							S.S.Thakur	7/3/2007	HQ
							Dilip Kumar Soni	27/8/07	Ind Unit
9	DPO	6500-200-10500	1		1				
10	ADPO	5500-175-9000	4	3	1		Ram Babu Chaturvedi	24/7/07	Gwl Unit
							OP Korikon	5/7/2004	Jbp Unit
							AK Swarnkar	22/08/2003	Ind Unit

11	INSP	6500-10500	19	19			Narendra Tiwari	14/05/2001	Bpl Unit
							Pradip Sharma	24/8/2006	Gwi Unit
							D D Pagwar	27/07/2005	J bp Unit
							MK Chaturvedi	06/10/1997	Gwl Unit
							Abid Ali Aamir	05/01/2004	Ind Unit
							Jujhar singh Pawar	24/12/2007	HQ
							Raj Kumar Sharma	3/3/08	Bpl Unit
							Kewal Chand Mandwi	2/8/2006	Jbp Unit
							Sewaram Thakur	10/8/2006	Jbp Unit
							S.L. Chandrol	30/4/07	Jbp Unit
							K.V. Singh	5/5/2007	Jbp Unit
							U.S.Tiwari	3/5/2007	HQ
							Rajesh Singh Baghel	30.4.07	Ind Unit
							Rajendr Nath Dubey	16/7/07	Bpl Unit
							Ashok Bhardwaj	8/8/2007	Bpl Unit
							H.S.Tiwari	14/12/07	Bpl Unit
							Jitendra Singh	11/3/2008	Ind unit
Ajay Singh	11/2/2008	Ind unit							
Shalig Ram Singh	27/6/2007	Bpl Unit							
12	Si	5500-9000	12	8	4		Arvind Kumar Tiwri	27/3/2008	Rwa Unit
							RN Tiwari	07/11/1994	Jbp Unit
							GS Parihar	06/09/2004	Jbp Unit
							Ajay Sharma	29/08/2003	Gwl Unit
							PR Dohare	13/12/2002	Rwa Unit
							Ajay Dubey	4/8/2006	HQ
							Sharif Khan	11/01/2000	HQ
Shiw Kumar Thapa	26/5/2008	HQ							
13	ASI	4000-100-6000	2	3		1	D L Panday	14/09/2005	Jbp Unit
							Bhaiya Lal Shingh	26/7/2007	HQ

							Badan Shingh	26/7/2007	HQ
14	HC	3500-5200	19	16	3		Ram Manohar Mishra	09/04/1998	JBPUnt
							Smt Ranjana Parashar	30/06/2004	HQ
							Ramesh Napit	01/12/1989	HQ
							RC Sharma	13/01/2003	HQ
							SB Ojha	15/05/1987	HQ
							Baikunth Prasad	12/06/1978	Bpl Unit
							RK Yadav	22/11/1981	Ind Unit
							Anoop Singh Panwar	09/06/1997	Ind Unit
							BR Gorkhede	26/07/1999	Ind Unit
							KS Singh	24/07/1993	Gwl Unit
							Avdhesh Kumar	17/11/1997	Gwl Unit
							HL Vaishya	22/05/1978	Rwa Unit
							Kamal Singh Rajput	23/6/2008	HQ
							Ram Sharan Sharma	3/11/2006	Bpl Unit
							KL Mehra	18/7/07	HQ
							Abhi Lakh Singh	15/10/07	
							RK Shukla	18/03/1977	Ind Unit
							Jagdish Prasad	26/5/2008	Jab Unit
15	Const. +Const Orderl y 34+38- 45+29	3050-4590	72	72			SS Chouke	02/03/1991	HQ
							OP Gurung	16/11/1995	HQ
							Arun Kumar Singh	16/5/2008	
							Sri nivas Mishra	19/07/1987	HQ
							Ramanand Mishra	29/06/1982	HQHq
							Dal Bahadur	08/05/1997	HQ
							Satya Narayan Yadao	22/07/1996	HQ
							Kripa Shankar Singh	17/03/2003	HQ

Madan Murari Shukla	09/07/1996	Bpl Unit
Mehboob Khan	19/06/1994	Bpl Unit
Shivcharan Pandey	07/06/2000	HQ
Vikram Prasad	22/04/2002	HQ
RL Tripathi	19/02/1983	Bpl Unit
PK Mathur	24/06/2003	HQ
Uttam Chand Pathak	01/05/1989	Jbp Unit
Sitaram Ahirwar	03/12/1983	Jbp Unit
Durga Prasad Chanpuria	07/07/1978	Jbp Unit
Shusil Kumar	28/11/1981	Jbp Unit
Arvind Tiwari	24/10/1996	Jbp Unit
Kailash Chand Dubey	24/07/1978	Ind Unit
Man Singh	28/07/1996	Gwl Unit
Rameshwar Dayal	15/07/1996	Gwl Unit
Jham Lal	12/06/1996	Gwl Unit
Parmanand Shukla	19/10/1983	J bp Unit
CS Prashad	14/05/1992	Rwa Unit
MMTiwari	22/04/1992	Rwa Unit
Ram Bahadur	02/05/1996	J bp Unit
Bhagwat Prasad	21/05/1996	Rwa Unit
D ipak Maratha	1/2/7/2006	Hq
Bharat Singh	19/04/2005	H Q
Ghanshyam Tripathi	'03/06/1997	Rwa Unit
Sunita Vist	27/07/2006	HQ
Harish Verma	29/07/2006	Ind Unit
Barkatulah Khan	12/3/2007	HQ
Awadesh Sharma	10/7/2007	HQ

Smt Namita Singh Chauhan	12/7/2007	HQ
Shailesh Singh	22/5/2007	Gwl Unit
Smt Asha Dubey	24/7/2007	HQ
kailash Bathare	23/7/2007	HQ
T.P.Singh	27/7/2007	
Ahsan Kureshi	30/7/2007	
M.L. Khan	6/8/2007	HQ
Ran Bahadur	7/5/1980	HQ
Bhupendra Kumar	7/10/1994	Bpl Unit
Kamleshwar Prasad	27/03/1978	HQ
Gajendra Prasad	19/06/1978	HQ
Balmik Sananse	5/11/1978	HQ
Govind Jaysawal	30/09/1982	HQ
Dev Bahadur	06/02/1981	HQ
Vishnu Bahadur	01/04/1977	HQ
Ashok Kale	16/12/1985	Bpl Unit
Khadak Bahadur	19/03/1986	HQ
RV Tiwari	05/06/1978	Bpl Unit
Gir Bahadur	21/11/1981	Bpl Unit
Him Bahadur	21/03/1977	Bpl Unit
HR Shinde	23/04/1977	Bpl Unit
S was	8/3/1978	Bpl Unit
Girdhari Lal	10/11/1980	Bpl Unit
Laxmi Narayan	05/06/1978	Bpl Unit
Ramcharit Tiwari	08/11/2002	HQ
Anup Kumar	21/-2/2000	HQ
Rakesh Dwivedi	20/10/1987	Bpl Unit
vijay kumar jadhaw	23/08/89	Ind Unit
RM Patel	16/10/1982	Jbp Unit

							RC Morya	18/03/1980	Jbp Unit
							Kailash Soni	20/06/1978	Ind Unit
							Raja Ramnath	08/08/1978	Ind Unit
							Ganesh Soni	12/06/1978	Ind Unit
							Jaiwant Rao	21/11/1981	Ind Unit
							Haribhao Wachkar	08/11/2002	Ind Unit
							Dhan Singh	01/02/1982	Gwl Unit
							Rajendra Surele	9/8/2007	HQ
16	C-Driver	3050-4590	10	7	3		BL Yadav	03/10/1984	HQ
							R.P.Tiwari	16/07/1996	HQ
							CS Pandey	18/03/1999	Bpl Unit
							Balesh Yadav	21/02/2005	HQ
							Kayum Khan	13/09/2004	Jbp Unit
							YR Panwar	1/11/1985	Ind Unit
							Mahipat Singh	30/6/07	Gwl Unit
17	Ordely	2550-3200	2	2			Ram Gopal	01/12/1989	HQ
							Jamuna Prasad	01/12/1989	Jbp Unit
18	C.-M	2550-3200	5	5			Premlal Tiwari	19/10/1982	HQ
							Rajendra Bhatt	01/12/1989	Ind Unit
							Krishan Pal Karosiya	01/12/1989	Ind Unit
							Hira lal Yadav	01/12/1989	Jbp Unit
							Onkar Singh	08/09/1982	Gwl Unit
19	O S	5500-175-9000	1		1				
20	Ins - o/Steno	5500-175-9000	3	2	1		S Karandikr	02/06/1986	HQ
							Ashok K T	07/05/1984	HQ
21	Subedar-M	4500-125-7000	3	4		1	Mira Thakur	09/08/1992	Ind Unit
							Rajeev Chaudhari	22/03/1997	Bpl Unit

							R P Gupta-Ju-Sten0	12/7/2004	Jbp Unit
							Surendra Jain	3/3/2008	HQ
22	Subedar-M	4500-125-7000	2		2				
23	Accountant	4000-100-6000	1	1			Lata Shewre	24/02/1989	HQ
24	S I-M	4000-100-6000	2	4		2	K.L.Chandel	28/7/2007	HQ
							R P Tiwari	06/11/2002	HQ
							B.S Moriya	30/05/2006	HQ
							O.P.Bagora	29/09/2007	Ind Unit
25	ASI-M	3050-4590	14	12	2		V N Mehato	12/03/1987	HQ
							Abdul Naim Khan	20/07/1992	HQ
							Mehfuj Khan	23/09/1991	HQ
							M L Soni	31/03/1987	HQ
							Saroj Bhargao	22/06/1989	HQ
							Manorama Verma	18/11/1991	HQ
							R K Morandani	28/06/1989	HQ
							Anil Nigam	04/08/1994	HQ
							Dilip Jain	22/04/1989	HQ
							Ram Prakash	23/02/1982	Gwl Unit
							S K Panday	11/06/1992	Rwa Unit
							Viresh Kumar Saha	27/07/2006	J bp Unit
##	Total		191	176	22	6			

बिन्दु 11

नियंत्रक अधिकारी-0117 मांग संख्या-01 सा0प्र0विभाग-01 डी0डी0ओ कोड-0510117009		मासिक व्यय पत्रक वित्तीय वर्ष 2008-2009, मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, व्यय पत्रक माह जून-2008, 4544-लघुशीर्ष-101 सी0आई0डी0 इकोनामिक आफेन्सेज आपराधिक अन्वेषण ओर सतर्कता							
विस्तृत शीर्ष	वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत बजट 2008-2009	दस प्रतिशत कटौती	कुल बजट स्वीकृत अनुमादित 2008-2009	माह 6/08 का व्यय	गत माह तक हुआ कुल व्यय 5/08	माहों के अन्त में हुआ कुल व्यय	बजट की शेष राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01-वेतन भत्ते आदि									
001-अधिकारियों का वेतन	17800000		17800000	1063551	3662178	4725729	13074271		
027-मंहगाई वेतन	8900000		8900000	532583	1835976	2368559	6531441		
003-मंहगाई भत्ता	12015000		12015000	657718	1922669	2580387	9434613		
006- मकान किराया भत्ता	700000		700000	37818	126063	163881	536119		
008-अन्य भत्ते	1599000		1599000	114039	342861	456900	1142100		
009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	700000		700000	42308	47910	90218	609782		
010-अवकाश यात्रा सुविधा	50000		50000			0	50000		
012-घटाइये त्योहार अग्रिम						0	0		
016-अनाज अग्रिम	100000		100000	6000	12000	18000	82000		
017-घटाइये वापसियाँ अनाज अग्रिम	-100000		-100000	-710	-4350	-5060	-94940		
018-चिकित्सा अग्रिम	400000		400000		56000	56000	344000		
019-घटाइये वापसियाँ चिकित्सा अग्रिम	-400000		-400000		-56000	-56000	-344000		



योग उद्देश्य-11 मतदेय	41764000		41764000	2453307	7945307	10398614	31365386		
12-मजदूरी	110000		110000	5593	6361	11954	98046		
14-पारितोषिक,पुरुस्कार,सम्मान	1000		1000			0	1000		
21-यात्रा भत्ता						0	0		
001-यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	750000		750000		29776	29776	720224		
002-यात्रा भत्ता स्थानान्तरण पर	90000		90000			0	90000		
003-यात्राभत्ता प्रशिक्षण पर	10000		10000			0	10000		
योग उद्देश्य-21 मतदेय	850000		850000		29776	29776	820224		
22-कार्यालय व्यय						0	0		
001-डाक एवं तार व्यय	60000		51000			0	51000		
002-दूरभाष व्यय	700000		595000	50132	19446	69578	525422		
003-फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	700000		595000	129668		129668	465332		
004-पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकायें	100000		85000			0	85000		
005-बिजली एवं जल प्रभार	550000		468000	77065	2095	79160	388840		
007-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	300000		255000	49317		49317	205683		
008-अन्य आकस्मिक व्यय	75000		64000	385		385	63615		
009-पेट्रोल तेल आदि	1600000		1360000	118035		118035	1241965		
011-किराया महसूल और कर	750000		638000	91575		91575	546425		
योग उद्देश्य-22 मतदेय	4835000		4111000	516177	21541	537718	3573282		
23- वाहनों का क्रय	1000		1000			0	1000		
24-परीक्षा एवं प्रशिक्षण						0	0		
002-प्रशिक्षण	100000		85000	3000		3000	82000		

योग उद्देश्य-24 मतदेय	100000		85000	3000		3000	82000		
26-सेमीनार,कार्यशाला सम्मेलन	50000		43000			0	43000		
31-व्यवसायिक एवं विशेषसेवाओं हेतु अदायगिर्यो						0	0		
001-परीक्षक	50000		50000			0	50000		
003-अभिभाषकों की फीस	150000		150000			0	150000		
006-सफाई व्यवस्था	25000		25000			0	25000		
007- परिवहन व्यवस्था	8000		8000			0	8000		
योग उद्देश्य-31 मतदेय	233000		233000			0	233000		
33-अनुरक्षण कार्य						0	0		
001-स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण	50000		43000			0	43000		
002- मशीन एवं उपकरण का अनु	225000		191000	6441		6441	184559		
003- वाहन अनुरक्षण	600000		510000	46393	40164	86557	423443		
योग उद्देश्य-33 मतदेय	875000		744000	52834	40164	92998	651002		
34- सामग्री एवं पूर्तियों						0	0		
004- राशन का मूल्य/ भोजन व्यय	5000		4000			0	4000		
006- खपने वाला सामान	50000		43000	11070		11070	31930		
योग उद्देश्य-34 मतदेय	55000		47000	11070		11070	35930		
36-कपड़े बिस्तर तथा टेंट्स	100000		85000			0	85000		
51- अन्य प्रभार	10000		9000			0	9000		
53- डिक्री धन का भुगतान भारित	100000		100000			0	100000		
56-गोपनीय सेवा व्यय	450000		450000	100000	100000	200000	250000		
योग योजना-4544 मतदेय	49534000		48633000	3141981	8136788	11278769	37354231		

(8808)सूचना प्रौद्योगिक से संबंधित कार्य						0	0		
22-कार्यालय व्यय						0	0		
003-फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	50000		43000			0	43000		
योग उद्देश्य-22 मतदेय	50000		43000			0	43000		
51-अन्य प्रभार	45000		38000	9036		9036	28964		
योग योजना(8808)	95000		81000			0	81000		
योग लघु शीर्ष(101)	49629000		48714000	3151017	8136788	11287805	37426195		
योग लेखा शीर्ष(2055)	49629000		48714000	3160053	8136788	11296841	37417159		
योग एक-राजस्व अनुभाग	49629000		48714000	3160053	8136788	11296841	37417159		

## बिन्दु क्रमांक-12-13-14-15

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 2409/232/77/बी-3/2, दिनांक 31 मई, 1977 से स्थापित किया गया है। इस अधिसूचना के अंतर्गत राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को राज्य स्तरीय पुलिस थाना दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (घ) के अंतर्गत घोषित किया गया है।

राज्य शासन के राजपत्र अधिसूचना वर्ष 1977 से ब्यूरो की कार्यपद्धति को प्रकाशित किया गया है। इसके अनुरूप ब्यूरो कार्य करता है।

ब्यूरो में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं:-

1. आपराधिक प्रकरणों का अनुसंधान एवं विवेचना।
2. आपराधिक प्रकरण के पूर्व दर्ज प्राथमिक जाँच एवं इसकी विवेचना, तथा
3. शिकायतें एवं सूत्र सूचनाओं पर कान्फीडेन्सियल सत्यापन, जो इस आशय से किया जाता है कि इस पर अपराध बनता है या नहीं।

ब्यूरो के आपराधिक अनुसंधान एवं विवेचना का आधार भारतीय दण्ड विधान 1973 की धारा 154 से 173 के अंतर्गत प्रदत्त होती है। आपराधिक विवेचना का प्रथम सूचना पत्र (धारा 154 द.प्र.सं.) में पंजीबद्ध होने के उपरांत उसकी सूचना संबंधित सक्षम न्यायिक दण्डाधिकारी को दी जाती है। तथा धारा 156 द.प्र.सं. के अंतर्गत आपराधिक विवेचना के समस्त कार्य इस सक्षम न्यायालय के अधीन होता है। चूंकि यह सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का एक अंग है अतः आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत दी जाने वाली रिपोर्ट तथा विवेचना के समस्त दस्तावेज संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी के क्षेत्राधिकारी में आते हैं एवं न्यायालयों में पूर्व से ही आम जनता को जानकारी प्राप्त करने के विनिर्दिष्ट नियम बनाये गये हैं। अतः इन समस्त दस्तावेजों को सक्षम न्यायालय से आम जनता को अथवा किसी अन्य को उपलब्ध करा सकते हैं अथवा दिये जाने के निर्देश दे सकते हैं। प्रथम सूचना पत्र एक लिखित दस्तावेज होता है जिसकी प्रतिलिपि द.प्र.सं. की धारा 154 के अंतर्गत आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है। किसी अन्य व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो तो सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

अतः आपराधिक अनुसंधान से संबंधी कोई दस्तावेज ब्यूरो वैधानिक रूप से उपलब्ध नहीं करा सकता है, जो मात्र सक्षम न्यायालय ही दे सकता है।

2- प्राथमिक जाँच एक विधिसंगत प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में लोकसेवक के उपर सामान्यतः दर्ज की जाती है जिसमें यह ज्ञात करना होता है कि अपराध घटित हुआ है या नहीं हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (1) स्टेट ऑफ हरियाणा विरुद्ध भजनलाल (1992 क्रिमिनल ला. जनरल पेज 527)।(2) सिराजुद्दीन विरुद्ध स्टेट ऑफ मद्रास (1971 क्रिमिनल ला. जनरल पेज 523), (3) स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश विरुद्ध भगवन्त किशोर जोशी (1964(1) क्रिमिनल ला. जनरल पेज 140), जिसमें प्राथमिक जाँच को उसी वैधानिक स्वरूप में बताया गया है, जो आपराधिक प्रकरण की विवेचना होती है। ब्यूरो द्वारा भी प्राथमिक जाँच के दर्ज

होने की जानकारी तथा इनके निष्कर्ष की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग तथा संबंधित विभाग को प्रदान की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के फलस्वरूप इस प्रक्रिया के अंतर्गत भी ब्यूरो अथवा किसी अन्य जॉच एजेन्सी को द.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। अतः इस जांच एवं जांच दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ आदि ब्यूरो द्वारा प्रदाय नहीं की जा सकती है परन्तु संबंधित विभाग अथवा सामान्य प्रशासन विभाग जानकारी प्रदाय करने के लिए स्वतंत्र है।

3— शिकायत सत्यापन एवं सूत्र सूचनाओं का सत्यापन—सामान्यतः ब्यूरो द्वारा कुछ शिकायतों जो इस स्तर की हैं, जिसमें कि किसी बड़े आर्थिक अपराध एवं भ्रष्टाचार का पता लेना है जिस पर गोपनीय सत्यापन करते हैं जो कि एक तरह से एक कान्फीडेंन्सियल कार्य है।

परन्तु इस पर यदि कोई यह जानकारी चाहता है कि क्या शिकायत की गई है एवं ब्यूरो द्वारा उसी शिकायत पर जांच करने का निर्णय लिया गया है अथवा नहीं, यह जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि जांच का निर्णय लिया गया है तो जांच पूरी होने के उपरांत जांच के निष्कर्ष की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सकती है। जब तक जांच चल रही है तब तक इस जांच के बारे में यही कहा जा सकता है कि जांच जारी है।

ब्यूरो की सामान्य प्रशासन की जानकारी सब उसी प्रकार से उपलब्ध कराई जा सकती है जिस तरह से अन्य विभाग की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी एवं इसमें कोई अलग से गोपनीयता की आवश्यकता नहीं है।

ब्यूरो के अपराधों की संख्या/अपराधियों की संख्यिकीय संबंधी जानकारी, न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या आदि उपलब्ध कराई जा सकती है परन्तु यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जानकारी वह उपलब्ध कराई जा जायेगी जो सामान्य रूप से उपलब्ध है। इस प्रकार की जानकारी ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई जानो संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत, कब दर्ज हुई एवं किसके द्वारा।

#### बिन्दु— 16

सूचना अधिकार नियम—2005 के क्रियान्वयन हेतु राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल के निम्नलिखित अधिकारियों के समक्ष दर्शाये अनुसार पदाधिकारी नियुक्त किये गए हैं:—

1— अपीलीय अधिकारी	पुलिस महानिरीक्षक
2— लोक सूचना अधिकारी	उप पुलिस महानिरीक्षक
3— सहायक लोक सूचना अधिकारी	उप संचालक अभियोजन
4— नोडल अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक(प्रशासन)

#### बिन्दु—17

#### निरंक